



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 559] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 1985/अग्रहायण 5, 1907  
No. 559] NEW DELHI, TUESDAY, NOV. 26, 1985/AGRAHAYANA 5, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate faging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1985

का. आ. 847 (अ) :—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि दिल्ली के उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन और अगले आदेश तक उक्त संघ शासित क्षेत्र में परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

[सं. यू-11030/4/85-यू. टी. एल.]

एच. वी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION**

**New Delhi, the 26th November, 1985**

**S.O. 847 (E) :—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor of Delhi shall, subject to control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984) within the said Union territory.**

**[No. U-11030/4/85-UTL]  
H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.**